पलासबनी में आज विधिक जागरूकता शिविर

जमशेदपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को पलासबनी पंचायत (गांव) में राज्यस्तरीय विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर लगाया जायेगा. शिविर में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे. कैंप में विभिन्न विभागों के 20 स्टॉल लगाये जायेंगे, शुक्रवार को पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया.

मजदूर नेताओं ने बताया- कई लोगों की जमीन से ठेकेदारों को रोजगार नहीं मिलता है तो

पलाशबनी में आज लगेगा राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर

जमशेदपुर | जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) व जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जमशेदपुर प्रखंड के पलाशबनी पंचायत में आदिम जनजाति और सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, डीडीसी मनीष कुमार, झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, डालसा सचिव नीतीश नीलेश सांगा, एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के साथ न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारी पलाशबनी पहुंचे। आयोजन स्थल पर आंगतुकों के बैठने की व्यवस्था, रूट चार्ट, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था, बैरिकेडिंग आदि की समीक्षा की गई। आदिम जनजाति समूह के लिए आयोजित किए जा रहे इस शिविर में लगभग 4000 लोग शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय मेगा शिविर में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के साथ झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश भाग लेंगे।

डीडीसी ने किया बालीगुमा यूपीएचसी

विधिक सेवा शिविर आज न्यायाधीशों ने किया दौरा

पलाशबनी में कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते प्रधान जिला जज व अधिकारी।

जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) जमशेदपुर एवं जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में शनिवार को जमशेदपुर सदर प्रखंड की पलाशबनी पंचायत में आदिम जनजाति सहित अन्य के सशक्तीकरण को ध्यान में रख राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर इसे आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वे और हाईकोर्ट के अन्य जज भी शामिल होंगे।

कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) अनिल कुमार मिश्रा, डीडीसी मनीष कुमार, झालसा के उप सचिव अभिषेक कुमार, डालसा के सचिव नीतीश निलेश सांगा, एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी पहुंचे। शिविर में लगभग 4000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए उच्चाधिकारियों ने सभी तैयारियों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया। शिविर में सरकारी विभागों के द्वारा 20 स्टॉल लगाए जाएंगे।

एक नजर में

पलासबनी पंचायत में आज लगेगा विधिक सेवा शिविर

जमशेदपुर : झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में 24 फरवरी को जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलासबनी पंचायत में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, डालसा सचिव नितीश निलेश सांगा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। शिविर में चार हजार से अधिक लोग शामिल होंगे।

कमलपुर पंचायत को मिल सकता है टीबी मुक्त अवार्ड

पलाशबनी पंचायत में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया , करोड़ों रुपयों का परिसंपत्तियां वितरीत की गई

जमशेदपुर । झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर एवम जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में 24 फरवरी 2024 को जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलाशबनी पंचायत में आदिम जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण मेगा शिविर का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय सुजीत नारायण प्रसाद एवम विशिष्ट अतिथियों में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी , प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, झालसा के सदस्य सचिव श्रीमती रंजना अस्थाना , उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सिंह , डालसा सचिव [illegible] बांग, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत आदिम जनजाति के कलाकारों द्वारा दी नृत्य एवम झारखंड के पारंपरिक परिधान में नृत्य मंडली द्वारा की गई। साथ ही सभी अतिथियों का मंच पर पुष्प गुच्छ , पगड़ी व पारंपरिक टोपी देकर एवम शाल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया । वहीं कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवम प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा जी के स्वागत भाषण से हुई । कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति माननीय सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह मेगा कैम्प समाज के कमजोर व्यक्तियों व आदिम जनजाति समूह को लक्षित कर आयोजित किए गए है । उन्होंने आदिम जनजाति के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि आप आदिम जनजाति बनकर न रहें । आप भी भारत के एक सभ्य व जागरूक नागरिक बनकर विकास के मुख्य धारा से जुड़ें और अपने अधिकार के प्रति सजग रहकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें । उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य है कोर्ट में लंबित मामलों को लोक अदालत एवम मेडिएशन के माध्यम से अधिक से अधिक केसों का निष्पादन करना तथा कोर्ट में केस आने से पहले ही उसे सुलह द्वारा स्थानीय स्तर पर ही खत्म करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचे ताकि गरीब से गरीब लोगों को न्याय मिल सके । इस मेगा शिविर का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित करने का भी यही मकसद है कि जरूरतमंद लोग अपने अधिकार से वंचित न रहे । वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने इस मेगा शिविर की महत्ता पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित इस तरह के मेगा शिविर से लोग कानून के साथ साथ अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक होंगे । कार्यक्रम में डीडीसी मनीष कुमार सिंह ने आदिम जनजाति एवम कमजोर वर्ग के लिए संचालित केन्द्र सरकार एवम राज्य सरकार के योजनाओं की विस्तार से जानकारी दिया । मेगा शिविर में अन्य लोगों ने भी संबोधित किया । इस कार्यक्रम में लगभग 10000 से अधिक लोग शामिल हुए और शिविर का लाभ उठाए । कार्यक्रम के दौरान आदिम जनजाति के सैकड़ों लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं से संबंधित करोड़ों रुपयों की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया । इस दौरान आदिम जनजाति के 11हजार 227 लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं से संबंधित 159 करोड़ के परिसंपत्तियां वितरित की गई । इस मेगा शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर भी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया । शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भवन, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा लगभग 25 स्टॉल लगाए गए , जहां काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया । कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने सभी स्टालों का भ्रमण किया और अंत में तीन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर और गुब्बारा उड़ाकर रवाना किया । कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यायालय के स्टाफ, पीएलवी सहित जिला प्रशासन की सराहनीय भूमिका रही ।

आदिम जनजाति विकास की मुख्य धारा से जुड़ें व अपने अधिकार के प्रति सजग रहें : जस्टिस सुजीत

पलाशबनी पंचायत में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

जमशेदपुर : आप आदिम जनजाति बनकर न रहें. आप भी भारत के एक सभ्य व जागरूक नागरिक बनकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और अपने अधिकार के प्रति सजग रहकर सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें. ये बातें झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार(झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कही. उन्होंने कहा कि देश में आदिम जनजाति शब्द को हटाने का प्रयास करना होगा. देश में सिर्फ जाति शब्द का ही इस्तेमाल किया जाए, सभी बराबर रहें और सभी को समानता का अधिकार मिले. वे पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना अंतर्गत पलासबनी में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में लोगों को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आदिम जनजाति को झालसा के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह लोग झालसा के इस्तेमाल से खुद को लाभ पहुंचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि झालसा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. हालांकि मौके पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें देखकर लगता है कि सभी जागरूक हैं. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं विशिष्ट अतिथियों में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर अनिल कुमार मिश्रा, झालसा सदस्य सचिव रंजना अस्थाना , उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सिन्हा, डालसा सचिव निलेश निलेश सांगा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना एवं ज्योत्सना पांडेय ने संयुक्त रूप से किया वहीं धन्यवाद ज्ञापन वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने किया.

लोगों के बीच किया गया परिसंपत्तियों का वितरण

इस दौरान लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. कुल 11227 लाभार्थियों को चुना गया था जिनके बीच 59.9 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण करना था. मौके पर कुल 29 लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत का फायदा उठाएं. इस दौरान मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे जिनके बारे में जस्टिस सुजीत नारायण ने जानकारी ली.

पलाशबनी. विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में बोले झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष

महिलाओं को शिक्षित करना व आदिम जनजाति को मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी

पलाशबनी पंचायत में आयोजित राज्यस्तरीय शिविर में लाभुक को चेक प्रदान करते झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष व अन्य अतिथिगण.

जिले के 11,227 लाभुकों के बीच 159.9 करोड़ की परिसंपत्तियों का हुआ वितरण

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पलाशबनी पंचायत में शनिवार को आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में पूर्वी सिंहभूम जिले के 11,227 लाभुकों के बीच 159.9 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ.

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सह झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि झालसा और डालसा के जरिये केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि आर्टिकल 39 के तहत सभी को समानता का अधिकार मिले.

राज्य सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य कई क्षेत्र में योजना चलायी जा रही है. इसके लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक

शिविर के दौरान छऊ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने अतिथि का मन मोहा.

महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है. देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है. अगर नारी सशक्त होगी तो देश भी सशक्त होगा.

उन्होंने कहा कि झालसा के पास जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसमें शत-प्रतिशत निपटारा देने का प्रयास किया जा रहा है. लोक अदालत और मीडियेशन के जरिये करीब 80 प्रतिशत मामलों में सुलह कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि नौ मार्च को लोक अदालत लगायी है. लोक अदालत के जरिये लोगों को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है. हमारा प्रयास है कि आदिम जनजाति को भी समानता का अधिकार मिले.

मौके पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि झालसा और डालसा के जरिये राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. यह अच्छी पहल है. कार्यक्रम के पश्चात अतिथियों ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया, साथ ही चल रहे छऊ नृत्य की सराहना की. मौके पर झालसा की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र, एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, डालसा सचिव निशीथ सिन्हा, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीओ पीयूष सिन्हा, कार्यक्रम के नोडल सह वरीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला समेत कई न्यायिक पदाधिकारी और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे.

सशक्तिकरण शिविर में लगाये गये थे 25 स्टॉल : शिविर में जिला प्रशासन, सिविल कोर्ट, जेल प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग, बैंक समेत अन्य विभागों के 25 स्टॉल लगे थे.

13 पीड़ितों के बीच 2.71 लाख रुपये के चेक वितरित

जमशेदपुर. कार्यक्रम के दौरान घाघीडीह केंद्रीय कारा द्वारा 13 पीड़ितों के बीच 2.71 लाख रुपये के चेक वितरित किये गये. न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने चेक का वितरण किया. ये वैसे पीड़ित थे, जिनके कोर्ट द्वारा उनके केस में आरोपियों को सजा सुनायी गयी है. सजायाफ्ता बंदियों द्वारा जेल में किये जा रहे कार्यों का एक तिहाई हिस्सा पीड़ित को दिया जाता है.

Primitive tribes should know their rights : Justice S N Prasad

Assets worth crores distributed to primitive tribes

Mail News Service

Jamshedpur, Feb 24: In a significant initiative aimed at empowering primitive tribal communities, a state-level legal services cum empowerment camp was organized in Palashbani Panchayat, Jamshedpur. The event, conducted under the auspices of the District Legal Services Authority, Jamshedpur, and the District Administration, East Singhbhum, witnessed the distribution of assets worth crores of rupees to beneficiaries of various government schemes. The event, held on the instructions of Jhalsa, saw the participation of eminent dignitaries, including Jhalsa's acting president Justice Sujit Narayan Prasad, High Court Justice Sanjay Kumar Dwivedi, and Principal District and Sessions Judge Jamshedpur Anil Kumar Mishra. The camp aimed to create awareness among primitive tribal people about government schemes tailored for their development. The program commenced with a traditional Chhau dance performance by tribal artists, setting a vibrant tone for the proceedings. Distinguished guests were honored with flower bunches, turbans, traditional caps, shawls, and mementos. Lighting of the lamp by the guests inaugurated the event, followed by a welcome speech from Principal District and Sessions Judge Anil Kumar Mishra. Justice Sujit Narayan Prasad, in his address, emphasized the importance of these mega camps in reaching the weaker sections and primitive tribal groups. He urged tribal citizens to actively participate in the development process, become aware of their rights, and avail themselves of government welfare schemes. Justice Prasad highlighted the National Legal Services Authority's (NALSA) objective to expedite case resolutions through Lok Adalat and Mediation, ensuring justice for the underprivileged. Justice Sanjay Kumar Divedi underscored the camp's significance in promoting legal awareness and educating people about their rights. Deputy Development Commissioner Manish Kumar Singha provided detailed information about central and state government schemes for primitive tribes and weaker sections.

The mega camp, attended by over 10,000 people, witnessed the distribution of assets worth Rs 159 crore among 11,227 beneficiaries. Various government departments set up stalls to disseminate information and connect eligible individuals with welfare schemes.

The success of the program was attributed to the collaborative efforts of the court bench, Para Legal Volunteers (PLV), and the district administration. Judicial Magistrate Ekta Saxena and Jyotsna Pandey jointly conducted the program, with Senior Superintendent of Police Kishore Kaushal delivering the vote of thanks. (w/am)

पलाशबनी पंचायत में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में करोड़ों रुपयों का परिसंपत्तियां वितरित किया गया

आदिम जनजाति के लोग भी जागरूक नागरिक बनकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें : न्यायमूर्ति

उत्कल मेल संवाददाता

जमशेदपुर : झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर एवम जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में 24 फरवरी शनिवार को जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलाशबनी पंचायत में आदिम जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण मेगा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवम विशिष्ट अतिथियों में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर अनिल कुमार मिश्रा, झालसा के सदस्य सचिव रंजना अस्थाना, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सिंह, डालसा सचिव निकेश निलेश सांगा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत आदिम जनजाति के कलाकारों द्वारा डा नृत्य एवम झारखंड के पारंपरिक परिधान में नृत्य मंडली द्वारा की गई। साथ ही सभी अतिथियों का मंच पर पुष्प गुच्छ, पगड़ी व पारंपरिक टोपी देकर एवम शाल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर एवम प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के स्वागत भाषण से हुई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह मेगा कैम्प समाज के कमजोर व्यक्तियों व आदिम जनजाति समूह को लक्षित कर आयोजित किए गए हैं। उन्होंने आदिम जनजाति के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि आप आदिम जनजाति बनकर न रहें। आप भी भारत के एक सभ्य व जागरूक नागरिक बनकर विकास के मुख्य धारा से जुड़ें और अपने अधिकार के प्रति सजग रहकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य है कोर्ट में लंबित मामलों को लोक अदालत एवम मीडिएशन के माध्यम से अधिक से अधिक केसों का निपटारा करना तथा कोर्ट में केस आने से पहले ही उसे झगड़ों द्वारा स्थानीय स्तर पर ही खत्म करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचे ताकि गरीब से गरीब लोगों को न्याय मिल सके। इस मेगा शिविर का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित करने का भी यही मकसद है कि जरूरतमंद लोग अपने अधिकार से वंचित न रहें। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने इस मेगा शिविर की महत्ता पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित इस तरह के मेगा शिविर से लोग कानून के साथ साथ अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक रहेंगे। कार्यक्रम में डीडीसी मनीष कुमार सिंह ने आदिम जनजाति एवम कमजोर वर्ग के लिए संचालित केन्द्र सरकार एवम राज्य सरकार के योजनाओं की विस्तार से जानकारी दिया। मेगा शिविर में अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 10000 से अधिक लोग शामिल हुए और शिविर का लाभ उठाए. कार्यक्रम के दौरान आदिम जनजाति के सैकड़ों लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं से संबंधित करोड़ों रुपयों की परिसंपत्तियां का भी वितरण किया गया। इस दौरान आदिम जनजाति के 11हजार 227 लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं से संबंधित 159 करोड़ के परिसंपत्तियां वितरित की गई। इस मेगा शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर भी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया। शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा लगभग 25 स्टॉल लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यायालय के स्टाफ, पीएलवी सहित जिला प्रशासन की सार्थक भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना एवम न्यायिक प्रतिभा ने संयुक्त रूप से की वहीं धन्यवाद ज्ञापन वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने दी।

सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना उद्देश्य : न्यायमूर्ति प्रसाद

पलासबनी पंचायत में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह पीवीटीजी महोत्सव

शिविर में 288 लाभुकों के बीच बांटी गयी 5.76 करोड़ की परिसंपत्तियां

जमशेदपुर, 24 फरवरी (रिपोर्टर) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में सदर प्रखंड के पलासबनी पंचायत में राज्यस्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह पीवीटीजी महोत्सव का आयोजन किया गया. शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, सम्मानित अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायधीश संजय कुमार द्विवेदी, प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) सह डीएलएसए के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, न्यायधीश सह सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और एसएसपी कौशल किशोर ने किया. विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संचालित योजनाओं द्वारा अभी तक जिले के लगभग 11,200 लाभुकों को लाभांवित किया गया.

झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद ने कहा कि इस तरह के शिविर के आयोजन का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार, सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है और हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाना है.

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि इसकी भूमिका समाज के उन्नति में अहम है. लोगों के शिक्षित होने से ही उनमें जागरूकता आएगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जानकार होंगे और विकसित बनेंगे. इस अवसर पर झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, डालसा सचिव नितीश निलेश सांगा, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.

लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण: शिविर में महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत लाभुकों को, झारखंड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) अंतर्गत सखी मंडलों को, पशुपालन विभाग अंतर्गत लाभुकों को, मनरेगा अन्तर्गत योजना के लाभुकों, पीएम जनमन अंतर्गत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भी लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. शिविर में 288 लाभुकों को 5.76 करोड़ रु. का लाभ मिला.

अतिथियों ने किया स्टॉलों का निरीक्षण: मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाएं गए स्टालों का निरीक्षण उपरोक्त अतिथियों ने किया. सभी स्टालों पर संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों से संचालित योजनाओं की जानकारी ली और प्राप्त आवेदनों को ससमय निष्पादित करते हुए आहर्ता पूर्ण करने वाले ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया. मौके पर अतिथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्श के लिए कस्तूरबा विद्यालय, पोटका और जिला समाज कल्याण विभाग को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया.

आदिम जनजाति विकास की मुख्य धारा से जुड़ें व अपने अधिकार के प्रति सजग रहें : जस्टिस सुजीत

पलाशबनी पंचायत में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

जमशेदपुर : आप आदिम जनजाति बनकर न रहें. आप भी भारत के एक सभ्य व जागरूक नागरिक बनकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और अपने अधिकार के प्रति सजग रहकर सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें. ये बातें झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार(झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कही. उन्होंने कहा कि देश में आदिम जनजाति शब्द को हटाने का प्रयास करना होगा. देश में सिर्फ जाति शब्द का ही इस्तेमाल किया जाए, सभी बराबर रहें और सभी को समानता का अधिकार मिले. वे पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना अंतर्गत पलासबनी में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में लोगों को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आदिम जनजाति को झालसा के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह लोग झालसा के इस्तेमाल से खुद को लाभ पहुंचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि झालसा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. हालांकि मौके पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें देखकर लगता है कि सभी जागरूक हैं. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं विशिष्ट अतिथियों में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर अनिल कुमार मिश्रा, झालसा सदस्य सचिव रंजना अस्थाना , उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सिन्हा, डालसा सचिव निलेश निलेश सांगा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना एवं ज्योत्सना पांडेय ने संयुक्त रूप से किया वहीं धन्यवाद ज्ञापन वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने किया.

लोगों के बीच किया गया परिसंपतियों का वितरण

इस दौरान लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. कुल 11227 लाभार्थियों को चुना गया था जिनके बीच 59.9 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण करना था. मौके पर कुल 29 लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत का फायदा उठाएं. इस दौरान मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे जिनके बारे में जस्टिस सुजीत नारायण ने जानकारी ली.

जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उद्देश्य : न्यायमूर्ति सुजीत

- पलाशबनी पंचायत में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह पीवीटीजी महोत्सव
- शिविर में 288 लाभुकों के बीच बांटी गयी 5.76 करोड़ की परिसंपत्तियां

जमशेदपुर, 24 फरवरी (रिपोर्टर) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में सदर प्रखंड के पलाशबनी पंचायत में राज्यस्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह पीवीटीजी महोत्सव का आयोजन किया गया. शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, सम्मानित अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायधीश संजय कुमार द्विवेदी, प्रधान एवं जिला सत्र न्यायधीश (पीडीजे) सह डीएलएसए के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, न्यायधीश सह सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और एसएसपी कौशल किशोर ने किया. विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संचालित योजनाओं द्वारा अभी तक जिले के लगभग 11,200 लाभुकों को लाभांवित किया गया.

झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद ने कहा कि इस तरह के शिविर के आयोजन का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार, सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है और हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाना है.

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि इसकी भूमिका समाज के उन्नति में अहम है. लोगों के शिक्षित होने से ही उनमें जागरूकता आएगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जानकार होंगे और विकसित बनेंगे. इस अवसर पर झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, डालसा सचिव नितीश निलेश सांगा, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.

अतिथियों ने किया स्टॉलों का निरीक्षण

मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाएं गए स्टालों का निरीक्षण उपरोक्त अतिथियों ने किया. सभी स्टालों पर संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों से संचालित योजनाओं की जानकारी ली और प्राप्त आवेदनों को समयबद्ध निष्पादित करते हुए आर्हता पूर्ण करने वाले ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया. मौके पर अतिथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कस्तूरबा विद्यालय, जेएसएलपीएस और जिला समाज कल्याण विभाग को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया.

लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण

शिविर में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत लाभुकों को, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) अंतर्गत सखी मंडलों को, पशुपालन विभाग अंतर्गत लाभुकों को, मनरेगा अन्तर्गत योजना के लाभुकों, पीएम जनमन अंतर्गत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भी लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. शिविर में 288 लाभुकों को 5.76 करोड़ रु. का लाभ मिला.

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं आदिम जनजाति

जस्टिस एसएन प्रसाद बोले-हर किसी को है समानता का अधिकार, जागरूक नागरिक बनें, अधिकार के प्रति रहें सजग

जासं, जमशेदपुर : समानता का अधिकार हर किसी को है। जागरूक नागरिक बनें। विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। अधिकार के प्रति सजग रहें। सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हासिल करें। अधिकार से वंचित नहीं रहे। उक्त बातें झारखंड उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति सह झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने एमजीएम थाना क्षेत्र के पलाशबनी पंचायत में शनिवार को आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहीं।

शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकार और पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया था। न्यायमूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों को लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक निपटारा करना है। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंचे। आदिम जनजाति के लोगों से कहा कि आगे बढ़ें। आप आदिम जनजाति बनकर न रहें। लोगों के बीच अधिकार के प्रति जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग आगे आएं।

पलाशबनी में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में शामिल न्यायमूर्ति सुजीत नरायण प्रसाद,न्यायमूर्ति संजय कुमारद्विवेदी, जिले के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, उप विकास उपायुक्त मनीष कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल।

मानगो थाना क्षेत्र के पलाशबनी पंचायत में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने मेगा शिविर की महत्ता पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित इस तरह के मेगा शिविर से लोग कानून के साथ साथ अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक होंगे।

जिले के उप विकास उपायुक्त मनीष कुमार सिन्हा ने आदिम जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लिए संचालित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 11 हजार 227 लाभुकों के बीच 15.9 करोड़ की परिसंपत्तियां वितरित की गई। शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा लगभग 25 स्टाल लगाए गए , जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया। शिविर में जिले के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, झालसा सचिव रंजना अस्थाना , उप विकास उपायुक्त मनीष कुमार सिन्हा , पूर्वी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव नितीश निलेश सांगा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल समेत जिले के न्यायिक पदाधिकारी व पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

पलाशबनी के विधिक जागरूकता शिविर में महिला को योजना का चेक देते न्यायाधीश।

पलाशबनी में शनिवार को आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं की सहभागिता अधिक रही। • हिन्दुस्तान

एनएच-33 के पलाशबनी में राज्यस्तरीय विधिक शिविर में बोले हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण

शिक्षा को अपनाएं, ताकि आदिम हट जाए

जमशेदपुर, वरीय संवाददाता। हाईकोर्ट के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आमजन की सेवाओं के लिए समय निर्धारित हो। इस अवधि में उनके काम पूरे हो जाने चाहिए। सेवक लोगों के सामने अपने अधिकार के लिए भीख मांगने जैसी स्थिति उत्पन्न न करें। यह लोगों का अधिकार है और उन्हें मिलना ही चाहिए। अपने अधिकार को कैसे लेना है, उसे जानना होगा।

अधिकारियों को भी देखना होगा कि आवेदकों को किसी काम के लिए बार-बार दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। ये बातें शनिवार को न्यायाधीश ने जमशेदपुर के एनएच-33 स्थित पलाशबनी में आदिम जनजातीय एवं समाज के कमजोर वर्ग के लिए आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि आदिम जनजातीय लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना होगा। यह तभी संभव है, जब घर में शिक्षा की शुरुआत हो। इसमें महिलाओं की महती भूमिका है। आज देश की कुल आबादी में 40% महिलाएं हैं। ये अपने घर में शिक्षा की नींव रखें तो समाज शिक्षित हो जाएगा। आदिम जनजाति को शिक्षा के आधार पर अधिकार को हासिल करते हुए उस मुकाम पर चले जाना चाहिए, जहां जाकर जाति से आदिम शब्द हट जाए। उन्होंने कहा कि शिविर में आए सभी लोग जागरूक हैं। इसलिए योजना बनाई गई कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। प्रशासन का दायित्व बनता है कि अधिक लोगों को लाभ दिलाया जाए।

- सेवाओं के लिए कार्यालयों में समय निर्धारित हो, काम तुरंत निपटाएं
- बच्चों को नवोदय और कस्तूरबा विद्यालय में जरूर पढ़ाएं जनजाति

आशा की किरण दिख रही है : न्यायाधीश संजय द्विवेदी

इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के इस मंच से आशा की किरण दिख रही है। यहां हम संकल्प ले रहे हैं कि जो योजना आदिम जनजाति के लिए बनाई गई हैं, वह पहुंच नहीं रही है तो उसे पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जो योजना आपके लिए बनी है, उसका लाभ उठाएं व समाज को आगे बढ़ाएं। उद्घाटन के दौरान प्रधान जिला जज अनिल मिश्रा ने कहा कि हमें आदिम जनजाति के लोगों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना है। उन्हें लाभान्वित और न्याय दिलाना है। जिन्हें अब तक अधिकार नहीं मिला है, दिलाना है। धन्यवाद ज्ञापन एसएसपी किशोर कौशल ने किया। डीडीसी मनीष कुमार ने योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर कई न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

13 साजयाफ्ता की कमाई पीड़ित परिवारों में बंटी

इस शिविर में एक कैम्प घाघीडीह जेल का भी लगा था। इस जेल में बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद थे। इस शिविर में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने वैसे लोगों में चेक बांटे, जो जेल के कैदियों के कमाए पैसे थे। यह राशि 13 कैदियों की 2.71 लाख रुपये थी। कोर्ट के आदेश पर जेल में मेहनत का 33% हिस्सा, उनलोगों के बीच बांटा गया, जिनके परिवार की हत्या, दुष्कर्म जैसे मामलों में वे जेल में हैं।

1127 लोगों में 59.5 करोड़ की राशि का वितरण

जमशेदपुर। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने बताया कि शिविर में 1127 लोग लाभान्वित हुए और 59.5 करोड़ वितरण किया गया। मीडिया से बातचीत में कहा कि जितने भी आवेदन आ रहे हैं, शत-प्रतिशत रिजल्ट देने का प्रयास किया जा रहा है। मध्यस्थता में 60% तक के केसों का निपटारा हो जा रहा है। 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन होना है। जो पैसे कोर्ट आने-जाने में लगाते हैं, उसे परिवार की उन्नति में लगाएं।

14:20
natkhabar.com

प्रभात खबर

Latest News st Bengal Breaking News : मुख्य चुनाव आयुक्त का तीन दि

पलाशबनी. विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में बोले झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष

महिलाओं को शिक्षित करना व आदिम जनजाति को मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी

पलाशबनी पंचायत में आयोजित राज्यस्तरीय शिविर में लाभुक को चेक प्रदान करते झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष व अन्य अतिथिगण.

जिले के 11,227 लाभुकों के बीच 159.9 करोड़ की परिसंपत्तियों का हुआ वितरण

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पलाशबनी पंचायत में शनिवार को आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में पूर्वी सिंहभूम जिले के 11,227 लाभुकों के बीच 159.9 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ.

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सह झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि झालसा और नालसा के जरिये केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि आर्टिकल 39 के तहत सभी को समानता का अधिकार मिले.

राज्य सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य कई क्षेत्र में योजना चलायी जा रही है. इसके लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक होना आवश्यक है. खास कर महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है. देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है. अगर नारी सशक्त होगी तो देश भी सशक्त होगा.

उन्होंने कहा कि झालसा के पास जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसमें शत-प्रतिशत रिजल्ट देने का प्रयास किया जा रहा है. लोक अदालत और मीडिएशन के जरिये करीब 60 प्रतिशत मामलों में सुलह कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि नौ मार्च को लोक अदालत लगायी है. लोक अदालत के जरिये लोगों को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है. हमारा प्रयास है कि आदिम जनजाति को भी समानता का अधिकार मिले.

मौके पर हाइ कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि झालसा और डालसा के जरिये राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. यह अच्छी पहल है. कार्यक्रम के पश्चात अतिथियों ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया. साथ ही चाले गये छाऊ नृत्य की सराहना की. मौके पर झालसा की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, डालसा सचिव निशित निशांत सांगा, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीओ पीयूष सिन्हा, बार काउंसिल के चेयरमैन सह वरीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला समेत कई न्यायिक दंडाधिकारी और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे.

इस शिविर में लगाये गये थे 25 स्टॉल : शिविर में जिला प्रशासन, सिविल कोर्ट, जेल प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग, बैंक समेत अन्य विभागों के 25 स्टॉल लगे थे

शिविर के दौरान छऊ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने अतिथि का मन मोहा.

13 पीड़ितों के बीच 2.71 लाख रुपये के चेक वितरित

जमशेदपुर. कार्यक्रम के दौरान घाघीडीह केंद्रीय कारा द्वारा 13 पीड़ितों के बीच 2.71 लाख रुपये के चेक वितरित किये गये. न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने चेक का वितरण किया. ये वैसे पीड़ित थे, जिनके कोर्ट द्वारा उनके केस में आरोपियों को सजा सुनायी गयी है. सजायाफ्ता बंदियों द्वारा जेल में किये जा रहे कार्यों का एक हिस्सा पीड़ित को दिया जाता है.

Ph.D. Awarded

COURT NOTICE
The Court of Civil Judge (Senior Division)-I, At Seraikella

झारखंड आम मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बने रघुनाथ

Magazines City 25 Feb

पलाशबनी पंचायत में लगा झालसा का शिविर

रांची. आदिम जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य स्तरीय विधिक सेवा और सशक्तीकरण शिविर का आयोजन हुआ. झालसा के निर्देश पर यह शिविर जमशेदपुर की पलाशबनी पंचायत में लगाया गया था. मुख्य अतिथि झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी व रंजना अस्थाना मौजूद थे. मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि यह कैंप समाज के कमजोर व्यक्तियों व आदिम जनजाति समूह को लक्ष्य कर लगाया गया है. आप आदिम जनजाति बनकर न रहें. एक जागरूक नागरिक बनकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें. कार्यक्रम में 15 हजार से अधिक लोग शामिल हुए. मौके पर 11227 लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला. साथ ही 15.9 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.

मंच ने सदर थाना के दारोगा पर कार्रवाई की मांग की

रांची. जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश युवा संयोजक सन्नी उरांव ने सदर थाना के दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. सन्नी उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री

कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं आदिम जनजाति : प्रसाद

पलाशबनी पंचायत में विधिक सेवा के मेगा शिविर का आयोजन

- 1227 लाभुकों के बीच 15.9 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का वितरण
- ऐसे शिविर से लोग कानून के साथ अधिकार के प्रति भी होंगे जागरूक

राज्य ब्यूरो, रांची : झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एसएन प्रसाद ने कहा है कि राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण मेगा शिविर समाज के कमजोर व्यक्तियों व आदिम जनजाति को लाभ देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। आदिम जनजाति के लोग भारत के एक जागरूक नागरिक बनकर विकास के मुख्य धारा से जुडें और अपने अधिकार के प्रति सजग रहकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। झालसा के निर्देश पर शनिवार को जमशेदपुर सदर प्रखंड की पलाशबनी पंचायत में विधिक सेवा सह सशक्तीकरण मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 11227 लाभुकों के बीच 15.9 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का वितरण किया गया।

जमशेदपुर की पलाशबनी पंचायत में शनिवार को लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देते झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एसएन प्रसाद ● जागरण

जस्टिस एसएन प्रसाद ने कहा कि नालसा (राष्ट्रीय विधिक प्राधिकार) का उद्देश्य है कि अदालत में लंबित मामलों को लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाए। अदालत में केस आने से पहले ही उसे समझौते के जरिए स्थानीय स्तर पर ही समाप्त करना है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचे, ताकि गरीब से गरीब लोगों को न्याय मिल सके।

इस दौरान जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के मेगा शिविर से लोग कानून के साथ-साथ अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक रहेंगे।

इस मौके पर डीडीसी मनीष कुमार सिन्हा ने आदिम जनजाति और कमजोर वर्ग के लिए संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जमशेदपुर के जिला जज अनिल कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सिन्हा, झालसा की सचिव रंजना अस्थाना, डालसा सचिव नीतीश निलेश सांगा, एसएसपी किशोर कौशल, झालसा के उप सचिव अभिषेक कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं ने मनाई विष्णु चरण की जयंती

राज्य ब्यूरो, रांची : अखिल झा… अधिवक्ता संघ की ओर से न्यू… भवन, रांची में छोटानागपुर … महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्रा… और कानून के ज्ञाता विष्णु च… महतो की 98वीं जयंती मनाई … इस अवसर पर सिविल कोर्ट र… के अधिवक्ताओं ने उनके चित्र … माल्यार्पण कर उनके बारे में च… की। अखिल झारखंड अधिवक… संघ के महासचिव भरत चंद्र मह… ने कहा कि विष्णु चरण का ज… सिल्ली प्रखंड के कांटाडीह गांव … एक किसान परिवार में हुआ थ… उन्होंने अपनी मेहनत और लगन … पटना से कानून की डिग्री लेकर रांच… में प्रैक्टिस किया और अपने को एक… सफल अधिवक्ता के रूप में स्थापित… किया। वह छोटानागपुर विधि… महाविद्यालय के संस्थापक सदस्यों… में थे। मौके पर पीडी सिंह, एए खान, निरंजन राम, शीश आलम, अंजित कुमार आदि मौजूद थे।

एक ही संसदी…

राज्य ब्यूरो, रांची : चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए थे। लेकिन, कई मामलों में निर्देश के विरुद्ध एक ही संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिला में स्थानांतरण कर दिया गया। यह मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में आया है। अब आयोग ने इसे उक्त निर्देश की मूल भावना के विपरीत बताते हुए ऐसे अधिकारियों एवं कर्मियों

सीएम को दी गोमिया में गैस रिसाव की जानकारी

राज्यसभा चुनाव में फिर आदिवासी

पीएम के दौरे के कारण

Sibal, while opening the case, said Hemant is a people's representative and his presence in the assembly is required during the budget session.

sion, he argued.

Countering Sibal's arguments, ED counsel and additional solicitor general of India, S V Raju, said Hemant has been detained in custody

ceedings.

The budget session of the Jharkhand assembly started on February 23 and will conclude on March 2. The session will span for seven working

ter. However, the order was later furnished before the high court. Hemant was picked up by the ED for his alleged involvement in a land scam running into several crores.

financial literacy. Camps, street players, displays at strategic public places including railway stations and airports, display vans and quiz contests would be used

schools of the state."

Singh stressed that students should be made aware of loan facilities for them without collateral.

JHALSA to hold mega legal camps for primitive tribes

Sanjay Sahay | TNN

Ranchi: Jharkhand State Legal Service Authority (JHALSA) has planned to hold mega camps in different parts of the state to educate primitive tribes and other weaker sections of the society on their legal rights and ensure they avail of several government scheme benefits.

Under the direction of its executive chairman Justice SN Prasad, JHALSA has obtained state-wide data on various primitive tribes living in each district including their names, population percentage and government schemes that could benefit them. The information is being used to assess the status of primitive tribes and make future plans.

Among the primitive tribes of the state are Birhors Mal Paharia, Asur, Sawar, Korwa, Hilkhariya, Birijia and Soria Paharia. Govt is running several schemes including Forest Rights Act, scholarships, Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojna, Birsa Awas Yojna, Antyodaya Ann Yojna and Adim Janjati Pension Yojna for the people.

The camps objective is to ensure the benefits of welfare schemes reach to deprived people and educate them on their rights

JHALSA would help extend the benefits of welfare schemes to primitive tribes and other weaker sections at their doorsteps. A mega camp in this regard was held in Jamshedpur on Saturday, during which 11,227 people were benefited.

JHALSA executive chairman Justice SN Prasad said objective of the camps is to ensure the benefits of welfare schemes reach to deprived people and educate them on their rights. He called upon the primitive tribes to become an aware citizen. JHALSA stated that three more places have already been identified for the mega camps, adding more functions would be held in the state during the year.

Organisation secretary Ranjana Asthana said, "We want to reach out to each and every primitive family to look after their legal rights and entitlement of government schemes for their social, economic and educational uplift. JHALSA executive chairman Justice SN Prasad aims to improve the situation of the primitive tribes and bring them to social mainstream."

SHAPI

TIMES TRIBUTE
PAYING HOMAGE TO THE DEPARTED SOUL
To book your ad
Logon to: ads.timesgroup.com
or Call: 18001205474 (Toll Free)
Scan QR Code
श्रद्धांजलि

JSR college takes steps to curb malpr

Times News Network

Jamshedpur: The LBSM College will take strict measures to curb malpractices during the Class XI exam